टी०ए०मिस० केस सं0 162/2019-20

	आदेश	अभ्युक्ति
17 12/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री बुढन सिंह देवगम, एवं दशकन देवगम दोनो के पिता– स्व० जीवन देवगम, निवासी ग्राम– खप्परसाई, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– खप्परसाई थाना नं०– 109 के अन्दर खाता नं०– 71 प्लॉट नं०– 609 रकवा– 0.13 एकड़ भूमि क्रेता श्री सुरेश पुरती ,श्री पाईकिराय पुरती, श्री करन पुरती एवं अनिल पुरती चारों के पिता– केरा पुरती, ग्राम– बाईकांकी, थाना– मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदकों के नाम सें ना0 मु0 सं0 85/2007–08 के द्वारा नामान्तरित हैं। आवेदकों का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 862, दिनांक– 14.12.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता श्री सुरेश पुरती ,श्री पाईकिराय पुरती, श्री करन पुरती एवं अनिल पुरती चारों के पिता– केरा पुरती, ग्राम– बाईकांकी, थाना– मुफ्फसिल के पास 4,00,000.00/–(चार लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री बुढन सिंह देवगम, एवं दशकन देवगम दोनो के पिता– स्व० जीवन देवगम, निवासी ग्राम– खप्परसाई थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता श्री सुरेश पुरती ,श्री पाईकिराय पुरती, श्री करन पुरती एवं अनिल पुरती चारों के पिता– केरा पुरती, ग्राम– बाईकांकी, थाना– मुफ्फसिल के पास जमीन को 4,00,000.00/–(चार लाख) रूपये में मौजा– खप्परसाई थाना नं०– 109 के अन्दर खाता नं०– 71 प्लॉट नं०– 609 रकवा– 0.13 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति....दी जाती है। लेखापित। 17.12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 17.12.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner